



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 1750 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12/13.09.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कनवारा बाईपास करिया नाला हनुमान मंदिर के पास से एक व्यक्ति को अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से 1750 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया।

बरामदगी-

➤ 1750 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनेश प्रजापति पुत्र बितानी प्रजापति निवासी ग्राम तरायां थाना बबेरू जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0- 747/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0- 222/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 592/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 594/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 596/24 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 119/19 धारा 306 भादवि थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 364/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 321/21 धारा 435/336/504/506 भादवि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 379/21 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 08/23 धारा 354/452/504/506 भादवि थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 54/23 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्री रामकिशोर यादव
2. उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह
3. म0उ0नि0 आकांक्षा पटेल
4. कां० शैलेंद्र
5. कां0 भागचन्द
6. कां0 जितेंद्र
7. कां0 राहुल कुमार